N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0022 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/01/2025 20:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/01/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/01/2025 20:13:53 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** OFFICE RAJASTHAN AWASAN MANDAL, JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BALURAM JAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOHANLAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM CHHITTAORIYA, RASHMI, RASHMI, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM CHHITTAORIYA, RASHMI, RASHMI, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARSHANT GUPTA		पिता:K K GUPATA	1. 4/492,MALVIYA NAGAR,MALVIYA NAGAR,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACB , भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे पिताजी स्व. श्री मोहनलाल जी को आरएचबी की विशिष्ठ पंजीयन योजना 2003 के अन्तर्गत आवास संख्या 7 एच 43 इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा में आवंटित हुआ था उनकी मृत्यु के पश्चात् मेरे आवेदन पर उक्त आवास मेरे नाम स्थानांन्तरित कर दिया था। मेरे समय समय पर मांग राशि जमा कराने की स्वीकृति के लिए पत्र प्रेषित किये थे किंतु हाउसिंह बोर्ड द्वारा इस पर निर्णय नही किया गया था। अब हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में पदस्थापित श्री अनिल कुमार जिनके पास सचिव का चार्ज भी है। डिप्टी सैक्रेटी द्वारा प्रशांत गुप्ता जे एल ओ के मार्फत मेरी पत्रावली का आवंटन पत्र की मांग राशि बिना ब्याज वसूल करते हुए पोजिटिव टिप्पणी के साथ आवंटन पत्र जारी करवाने की एवज में मेरे से दस लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। मै जब भी सचिव साहब अनिलजी से मिलता हूं तो वे मुझे प्रशांत से मिलने की कह देते हैं। प्रशांत रिश्वत की मांग करता है किंतु मेरे निवेदन करने पर तीन लाख रूपये लेने के लिए सहमत हो गये है। मैं इन लोगों को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं और इनको रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरा इनसे कोई पुराना लेनदेन बकाया नही है एवं नाही कोई व्यक्तिगत रंजिश है। प्रार्थी एसडी बालूराम जाट पुत्र मोहनलाल त. राशमी जिला चित्तौडगढ निवासी चित्तौडिया मो.[redacted] 19/12/24, एसडी सुनील 3/1/25 ,एसडी चेतनप्रकाश 3/1/25, एसडी मौ.हकीत खान , एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 19.12.24, कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 19.12.2024 समय 08.30 एएम पर प्रमाणित किया जाता है कि मन् अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार एसीबी चौकी भरतपुर से मय श्री रितेश कुमार कानि.मय सरकारी वाहन बोलेरो मय धर्मवीर सिंह कानि. चालक नं. 337 मय वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय लेपटॉप ,प्रिन्टर वास्ते गोपनीय राजकार्य हेतु एसीबी मुख्यालय जयपुर रवाना होकर समय 12.15 पीएम पर एसीबी मुख्यालय जयपुर पहुँचा। श्रीमान उप महानिरीक्षक तृतीय जयपुर श्री राजेश सिंह जी से सम्पर्क किया। तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर श्री राजेश सिंह उप महानिरीक्षक जयपुर ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री बालूराम से सम्पर्क कराते हुए बताया कि ये परिवादी है ये ट्रेप कार्यवाही कराना चाहते है तत्पश्चात समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम जाट पुत्र श्री मोहनलाल जाट जाति जाट उम्र 45 साल निवासी 113, मंदिन के पास गांव चित्तोडिया, पोस्ट अडाना चित्तौरिया, पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौडगढ ने एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड एवं सम्बंधित दस्तावेज की छायाप्रति के मन् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मेरे पिताजी स्व. श्री मोहनलाल जी को आरएचबी की विशिष्ठ पंजीयन योजना 2003 के अन्तर्गत आवास संख्या 7 एच 43 इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा में आवंटित हुआ था उनकी मृत्यु के पश्चात् मेरे आवेदन पर उक्त आवास मेरे नाम स्थानांन्तरित कर दिया था। मेरे समय समय पर मांग राशि जमा कराने की स्वीकृति के लिए पत्र प्रेषित किये थे किंतु हाउसिंह बोर्ड द्वारा इस पर निर्णय नही किया गया था। अब हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में पदस्थापित श्री अनिल कुमार जिनके पास सचिव का चार्ज भी है। डिप्टी सैक्रेटी द्वारा प्रशांत गुप्ता जे एल ओ के मार्फत मेरी पत्रावली का आवंटन पत्र की मांग राशि बिना ब्याज वसूल करते हुए पोजिटिव टिप्पणी के साथ आवंटन पत्र जारी करवाने की एवज में मेरे से दस लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। मै जब भी सचिव साहब अनिलजी से मिलता हूं तो वे मुझे प्रशांत से मिलने की कह देते हैं। प्रशांत रिश्वत की मांग करता है किंतु मेरे निवेदन करने पर तीन लाख रूपये लेने के लिए सहमत हो गये है। मैं इन लोगों को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं और इनको रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरा इनसे कोई पुराना लेनदेन बकाया नही है एवं नाही कोई व्यक्तिगत रंजिश है। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 01.50 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाब्ता मय परिवादी मय वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय लेपटॉप ,प्रिन्टर मय सरकारी वाहन के एसीबी मुख्यालय जयपुर से परिवादी के बताए अनुसार रिश्वत मांग सत्यापन हेतु राजस्थान आवासन मंडल जयपुर ज्योति नगर के लिए रवाना होकर समय 02.30 पीएम पर परिवादी के बताए अनुसार रिश्वत मांग सत्यापन हेतु राजस्थान आवासन मंडल ज्योति नगर जयपुर पहुंचा। तत्पश्चात समय 03.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड को अपने पास से निकालकर परिवादी श्री

बालूराम को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को रितेश कुमार कानि. 64 द्वारा अपना परिचय देकर परिवादी श्री बालूराम को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपीगण के पास आवासन मंडल जयपुर के कार्यालय में भेजा गया तथा श्री रितेश कुमार कानि. को परिवादी के पीछे पीछे अपनी पहिचान छुपाते हुए निगरानी हेतु आवासन मंडल जयपुर के कार्यालय रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.50 पीएम पर श्री रितेश कुमार कानि. व परिवादी श्री बालूराम कार्यालय राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से बाहर आया। परिवादी श्री बालूराम से पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉईस रिकॉर्डर को बंद कर जरिये फर्द प्राप्त किया गया तथा परिवादी ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं और श्री रितेश जी आपके पास से डिजिटल वॉइस रिकार्डर को लेकर पैदल की रवाना होकर राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के अंदर पहँुचे , मैं वॉइस रिकॉर्डर लेकर के आवासन मंडल की तीसरी मंजिल पर श्री प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी से मिला तो उन्होने मेरी पत्रावली के बारे में स्पष्ट कोई बात नही बताई फिर प्रशांत गुप्ता जी मुझे द्वितीय तल पर उप सचिव अनिल पालीवाल से मिलाया तो अनिलजी ने कहा कि अभी थोडा वेट करो जैसे ही एक दो दिन में कुछ होता है मैं मेसेज कर दूंगा आपकी फाइल पैराइटी पे है और मुझसे प्रशांत से मिलने व बात करने की कहा। उसके बाद कक्ष से बाहर आकर प्रशांतजी ने मेरे से ढाई लाख रूपये की मांग की एवं मेरे निवेदन करने पर एक लाख रूपये लेने पर सहमत हो गये। उक्त वार्ताओं को मैंने आपके वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। परिवादी श्री बालूराम से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर्र कर चालु कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इस पर वॉईस रिकॉर्डर मय एस डी कार्ड को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात परिवादी श्री बालूराम से रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो बताया कि अभी मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था नही है और आरोपीगण ने स्वयं फोन/ मैसेज करने पर ही आने के लिए कहा है। परिवादी को बाद हिदायत रूखसत किया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। तत्पश्चात समय 05.15 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमारहियान जाप्ता मय वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय लेपटॉप ,प्रिन्टर मय सरकारी वाहन आवश्यक कार्य से जयपुर मुकीम रहा। इसके बाद दिनांक 20.12.24 को समय 09.00 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमारहियान जाप्ता मय वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय लेपटॉप ,प्रिन्टर मय सरकारी वाहन के रवाना होकर समय 12.40 पीएम पर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुॅचा डिजीटल वाईस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर मैमोरी कार्ड व वाइ्रस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी रखा गया। इसके बाद दिनांक 02.01.25 को समय 06.10 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री बालूराम से हुई वार्तानुसार एसीबी चौकी भरतपुर से मय श्री रितेश कुमार कानि.मय सरकारी वाहन टवेरा मय मनोज कुमार कानि. चालक नं. 647 मय वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मय लेपटॉप ,प्रिन्टर मय दिनांक 19.12.24 को हुई सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड को साथ लेकर जयपुर रवाना होकर समय 10.00 पीएम पर जयपुर पहूंचा । चूकि अब रात्रि का समय अधिक हो जाने से जयपुर मुकिम रहकर विश्राम किया। इसके बाद दिनांक 03.01.25 को समय 07.00 एएम मन् अति. पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार कानि.मय सरकारी वाहन टवेरा मय मनोज कुमार कानि. चालक नं. 647 मय वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मय लेपटॉप ,प्रिन्टर, के एसीबी मुख्यालय जयपुर रूकने की हिदायत देकर दिनांक 19.12.24 को हुई सत्यापन वार्ता के मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखकर आवश्यक निजी कार्य होने से आधे दिन की आकस्मिक अवकाश पर जयपुर शहर रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 11.20 एएम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री दिलीप कुमार कानि. नं.- 610 को मय जाप्ता श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक ,श्री परसराम कानि.नं.- 203 ,श्री विनोद कुमार कानि.नं.- 114, श्री गोकुलेश कानि.- मय ट्रेप बाक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन चालक विजय सिंह को फिनोफ्थीन पाउडर का डिब्बा लेकर ज्योति नगर जयपुर आने के लिए निर्देश दिये। तत्पश्चात समय 11.50 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक आवश्यक निजी कार्य से निवृत होकर आधे दिन की आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर परिवादी श्री बालूराम से वार्तानुसार मय श्री रितेश कुमार कानि. मय सरकारी वाहन टवेरा मय मनोज कुमार कानि. चालक नं. 337 मय वाईस रिकार्डर मय लेपटॉप ,प्रिन्टर, के एसीबी मुख्यालय से रवाना होकर समय 12.10 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम से वार्तानुसार राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के पास पहुंचा। जहॉ परिवादी श्री बालूराम उपस्थित मिला और बताया कि प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकार ने राशि लेने से पूर्व मुझे एक बार मिलने के लिए बुलाया हैं और मैं रिश्वत राशि एक लाख रूपये की व्यवस्था कर लाया हूं। तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्तालाप को रिकार्ड करने के लिए डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी श्री बालूराम को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को रितेश कुमार कानि. 64 द्वारा अपना परिचय देकर परिवादी श्री बालूराम को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपीगण के पास आवासन मंडल जयपुर के कार्यालय में भेजा गया तथा श्री रितेश कुमार कानि. को परिवादी के पीछे पीछे अपनी पहिचान छुपाते हुए निगरानी हेतु आवासन मंडल जयपुर के कार्यालय रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.00 पीएम पर श्री

रितेश कुमार कानि. मय परिवादी श्री बालूराम के उपस्थित आया। श्री बालूराम से वॉईस रिकॉर्डर को बंद किया तथा परिवादी ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं प्रशांत जी से मिला उन्होने मुझसे पत्रावली व रिश्वत सम्बंधी कोई वार्ता नही की एवं मुझे श्री अनिल कुमार उप सचिव के आने पर कॉल कर आज ही बुलाने के लिए कहा है। उक्त वार्ता को मैंने आपके वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। परिवादी श्री बालूराम से प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में उक्त वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। रिकार्ड वार्ता में रिश्वत व पत्रावली सम्बंधी वार्ता नही होने पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने का कोइ औचित्य नही है। वॉईस रिकॉर्डर मय एस डी कार्ड को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय 02.50 पीएम पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवश्यकता होने पर श्री रितेश कुमार कानि0 64 को स्वतन्त्र गवाह को लाने हेतु मैनेजर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स जयपुर के पदनाम तहरीरी जारी कर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स जयुपर रवाना करने पर समय 03.20 पीएम पर श्री रितेश कुमार कानि0 मय दो स्वतंत्र गवाहान को हमराह साथ लेकर उपस्थित आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उक्त दोनो साथ आये गवाहो से उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री चेतन प्रकाश विजय पुत्र श्री रामेश्वर विजय जाति महाजन उम्र 56 साल निवासी बी-104 सेठी कोलोनी जयपुर पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर। हाल ए.एम. द्वितीय जी.एस.एम. जयपुर व दूसरे ने अपना नाम सुनील शर्मा पुत्र श्री गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण उम्र 51 साल निवासी 219-220 गणेश नगर पुलिस थाना करधनी जयपुर हाल सहायक कर्मचारी जी.एस.एम. जयपुर होना बताया जिनको पूर्व से उपस्थित परिवादी बालूराम से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 03.25 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक , श्री दिलीप कुमार कानि. नं 610, विनोद सिंह कानि. नं. 114, श्री परसराम कानि. नं. 203, श्री गोकुलेश कानि. 454 मय सरकारी गाडी बोलेरो मय चालक श्री विजयसिंह नं. 339 मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय फिनौफ्थलीन पाउडर के डिब्बे के उपस्थित ज्योति नगर जयपुर आये जिनका परिचय दोनों स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी से कराया एवं कार्यवाही के सम्बंध में मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 03.45 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री बालूराम जाट पुत्र श्री मोहनलाल जाट जाति जाट उम्र 45 साल निवासी 113, मंदिन के पास गांव चित्तोडिया, पोस्ट अडाना चित्तौरिया, पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौडगढसे आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 200 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 1,00,000/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- 5UF193301, 8AT508997, 3GS865138, 4KD386588, 7QG586927, 2RD327576, 6RE897008, 8DK737827, 6BR405545 ,2BR910324 ,2CU563477 ,3KM363416, 0MA301218 , 0AN719308, 9UF604695, 9PB808867, 5PD220456, 4DW824643, 1PM168010, 3EU877224, 1UL249168, 1KL263673, 4BU718761, 9VH395983, 8DB487662, 1FF171407, 2AM469353, 2EH104908, 3AB837660, 1NH651231, 0RS669145, 8GM553711, 5MM719271, 1CV134303, 5WF584652, 6AL339021, 5UF817823, 2AV079114, 7EC571006, 2CG820306, 5UF636374, 3CV939813, 1CT961010, 4RR584696, 7ST245843, 3GF424249, 3FN978595, 0CC061543, 5FE696304, 1CE721370, 1FA941449, 6FC294165, 0QT436257, 3MC219974, 5VB567254, 3HB179599, 6NN108335, 0LP744556, 5QV232025, 0MS142280, 5EU328339, 4HQ393056, 9FH431290, 6QB730304, 3FU021738, 0BN752656, 3HF172991,0NB651186, 7LC040465, 9KN607631, 0NB547057, 4BK375045, 2UN984299, 2RH256587, 9MP042028, 6VP601947, 6CQ100198, 2BE751394, 6MA999716, 6RK850231, 5QC565349, 2LV680482, 7BN641069, 0UK179507, 1BC058890, 4QG749058, 8BN691986, 5FW161135, 5FW161136, 6QW192693, 9PN951327, 5FW161125, 5FW161126, 5FW161127, 5FW161128, 5FW161129, 5FW161130, 5FW161131, 5FW161132, 5FW161133, 3CA822582, 3QE384578, 1MA340817, 5GQ896068, 0CT244468, 2AG859350, 4BV026259, 3VS404299, 2DT891677, 4RC524916, 8BV304030, 4EL968393, 0HR732534, 7AF467581, 4FQ889304, 6HU179411, 6QE892766, 7HH829787, 5BS772370, 9QE923614, 7DR961698, 5EL502696, 3KA234553, 7QD503101, 1FD503686, 4KT795425, 2MU544938, 2BL910067, 5HF296937, 8KU279954, 2TP973765, 1UA747925, 0PF010642, 9NL396807, 5AK381599, 2UU030083, 1FE408341, 2TA895464, 0AQ247108, 6EV818994, 7LB353150, 6AK444582, 9UW981658, 0EA542732, 2UU954174, 2UU954175, 2NF937252, 6FG081902, 5BH827820, 4MK336674, 8GD965962, 8ET952166, 7KK319267, 0KC959175,

2GW503423, 4RB090943, 3LN602377, 1RP746340, 5PR847088, 1EC182344, 4NB602383, 9AG306723, 4WF365745, 9UB913997, 2AN859740, 1TD832448, 0AD268040, 2RB155891, 6BE009431, 3NC303485, 4KS332687, 6AE532858, 2EE214997, 4VC577653, 8AG465003, 7DB467684, 4GQ233754, 4SN844710, 7DF361582, 3AD055886, 5BG514459, 3TN813399, 5QP597071, 6LM144981, 0VH292186, 0FN391664, 9CN346552, 8FK410924, 9KE195740, 8DU161822, 1BB325605, 2ER926803, 2FM772904, 1HE343741, 8VQ061216, 0RU805441, 5BW514337, 9KR527220, 0PW569457, 2TP973766 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री विजयसिंह कानि0 चालक 339 द्वारा सरकारी गाडी बोलेरो के डेसबोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री विजय सिंह कानि0 चालक 339 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री बालूराम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह चेतनप्रकाश से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 1,00,000/-रूपये के नोटों को श्री विजय सिंह कानि0 चालक 339 से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दांयी तरफ की सामने की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री सुनील कुमार से फ्लेट में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री विजय सिंह कानि. चालक 339 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन बाथरूम में फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री विजयसिंह कानि. चालक नं. 339 के पास रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री विजयसिंह कानि0 चालक को बाद हिदायत परिवादी के मिलने वाले के फ्लेट के पास बाहर ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 04.30 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम को पैदल ही राजस्थान आवासन मंडल जयपुर रवाना कर उनके पीछे श्री रितेश कुमार कानि. नं.-64 व श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक,श्री दिलीप कुमार कानि. को रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह,व अन्य शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरकारी वाहन टवेरा के मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के बाहर अपनी पहिचान छुपाते हुए खडे हो गये। तत्पश्चात समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम बिना इशारा किए ही राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से बाहर आया जिनसे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा इसके बाद परिवादी ने बताया कि श्री अनिल कुमार उप सचिव अपने कार्यालय में नहीं हैं। मीटिंग में गये है। अब कार्यालय समय समाप्त हो चुका है उनके आने की संभावना नहीं है। इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री विजयसिंह कानि. चालक द्वारा रिश्वत राशि एक लाख रूपये को परिवादी के जेब से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेट कर सुरक्षित उसी के पास रखवाया गया तथा परिवादी श्री बालूराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर जरिए टेलीफोन अवगत कराने की मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप टीम को मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर मय वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्डों मय सरकारी वाहनों मय चालक श्री विजय सिंह मय पाउडर युक्त रिश्वती राशि एक लाख रूपये मय हमराही जाब्ता के एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना होकर समय 11.45 पीएम पर एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व रिश्वत राशि एक लाख रूपये को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 06.01.2025 को समय 05.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

द्वारा श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को हिदायत दी गई कि आप कल दिनांक 07.01.25 को ट्रेप टीम मय ट्रेप बॉक्स मय पाउडरयुक्त रिश्वत राशि मय लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक के सुबह 10.30 ए.एम. तक जयपुर पहुंचे बाद हिदायत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से सम्बंधित वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्डों मय लैपटॉप प्रिन्टर मय निजी वाहन से रवाना जयपुर हुआ इसके बाद दिनांक 07.01.2025 को समय 11.00 एएम पर पाबंदशुदा श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री दिलीप कुमार कानि. नं.- 610, श्री परसराम कानि.नं.- 203 ,श्री विनोद कुमार कानि.नं.- 114, श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64, श्री गोकुलेश कानि. 454 मय पाउडरयुक्त रिश्वत राशि मय लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक विजय सिंह के ज्योति नगर जयपुर उपस्थित आये। तत्पश्चात पूर्व से पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही हेतु उपस्थित हेतु कहा गया। तत्पश्चात समय 12.05 पीएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री बालूराम ज्योति नगर जयपुर उपस्थित आये। तत्पश्चात समय 12.20 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पाउडर युक्त रिश्वत राशि एक लाख रूपये को श्री विजय सिंह कानि. चालक से निकलवाकर पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलानकर सीधे ही परिवादी श्री बालूराम की पेन्ट की आगे की दाहिने तरफ की जेंब में रखवाया गया। दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्प पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द कर रवाना कार्यालय राजस्थान आवासन मंडल जयपुर किया गया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा हो गया। तत्पश्चात समय 01.05 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम बिना इशारा किए ही राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से बाहर आया जिनसे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा इसके बाद परिवादी ने बताया कि श्री अनिल कुमार उप सचिव अपने कार्यालय में नहीं हैं। थोडी देर बाद आएंगे। तत्पश्चात समय 01.20 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम के बताये अनुसार वाईस रिकार्ड चालू कर सुपुर्द कर आरोपीगण से मिलने व रिश्वत राशि लेनदेन हेतु कार्यालय आवासन मंडल रवाना किया । मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा हो गया। तत्पश्चात समय 01.40 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम बिना इशारा किए ही राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से बाहर आया जिनसे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा इसके बाद परिवादी ने बताया कि श्री अनिल कुमार उप सचिव अपने कार्यालय में नहीं हैं और आज आने की संभावना नही है। इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री विजयसिंह कानि. चालक द्वारा रिश्वत राशि एक लाख रूपये को परिवादी के जेब से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेट कर सुरक्षित उसी के पास रखवाया गया तथा परिवादी श्री बालूराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर जरिए टेलीफोन अवगत कराने की मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 02.30 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय ट्रेप टीम मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक श्री विजय सिंह मय पाउडर युक्त रिश्वती राशि एक लाख रूपये के एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना कर हिदायत दी गई कि एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचकर पाउडर युक्त रिश्वतराशि को कार्यालय के आलमारी में सुरक्षित रखें तथा कल दिनांक 08.01.25 को समय 11.30 ए.एम. तक ट्रेप टीम मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक श्री विजय सिंह मय पाउडर युक्त रिश्वती राशि एक लाख रूपये को लेकर ज्योति नगर जयपुर उपस्थित आवे। वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व दिनांक 19.12.254 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड को सुरक्षित अपने पास रखा। इसके बाद दिनांक 08.01.25 को समय 11.30 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री दिलीप कुमार कानि. नं.- 610, श्री परसराम कानि.नं.- 203 ,श्री विनोद कुमार कानि.नं.- 114, श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64, श्री गोकुलेश कानि. 454 मय पाउडरयुक्त रिश्वत राशि मय लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक विजय सिंह के ज्योति नगर जयपुर उपस्थित आये। तत्पश्चात पूर्व से पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही हेतु उपस्थित हेतु कहा गया। तत्पश्चात समय 12.10 पीएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री बालूराम ज्योति नगर जयपुर उपस्थित आये। तत्पश्चात समय 12.45 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पाउडर युक्त रिश्वत राशि एक लाख रूपये को श्री विजय सिंह कानि. चालक से निकलवाकर पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलानकर सीधे ही परिवादी श्री बालूराम की पेन्ट की आगे की दाहिने तरफ की जेंब में रखवाया गया। दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन,

परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द कर रवाना कार्यालय राजस्थान आवासन मंडल जयपुर किया गया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा हो गया। तत्पश्चात समय 01.20 पीएम परिवादी श्री बालूराम बिना इशारा किए ही राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से बाहर आया जिनसे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा इसके बाद परिवादी ने बताया कि रिश्वत लेन देन सम्बंधी कोई वार्ता नहीं हुई है अनावश्यक बातें हुई थी थोडी देर बाद पुनः बुलाया है। तत्पश्चात समय 02.15 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम के बताये अनुसार वाईस रिकार्ड चालू कर सुपुर्द कर आरोपीगण से मिलने व रिश्वत राशि लेनदेन हेतु कार्यालय आवासन मंडल रवाना किया । मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा हो गया। तत्पश्चात समय 02.30 पीएम परिवादी श्री बालूराम बिना इशारा किए ही राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से बाहर आया जिनसे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा इसके बाद परिवादी ने बताया कि रिश्वत लेन देन सम्बंधी कोई वार्ता नहीं हुई है अनावश्यक बातें हुई थी थोडी देर बाद पुनः बुलाया है। तत्पश्चात समय 03.05 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम के बताये अनुसार वाईस रिकार्ड चालू कर सुपुर्द कर आरोपीगण से मिलने व रिश्वत राशि लेनदेन हेतु कार्यालय आवासन मंडल रवाना किया । मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा हो गया। तत्पश्चात समय 03.55 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम बिना इशारा किए ही राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से बाहर आया जिनसे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा इसके बाद परिवादी ने बताया कि मेरी श्री अनिल कुमार उप सचिव व प्रशान्त गुप्ता जी से अनिल कुमार जी के कक्ष में बात हुई थी अनिल जी ने मुझसे कहा कि मैडम से मेरी बात हो गई है मैडम से डिस्कस करने के बाद मैं साईन कर दूंगा आपकी फाईल पूरी पोजीटिव है आदि वार्ता हुई है तथा प्रशान्त जी से मेरी मांगपत्र की राशि से सम्बंधित बात हुई है और उन्होने मुझे शाम तक रूकने के लिये कहा है। तत्पश्चात समय 06.01 पीएम पर परिवादी के मोबाइल नं. [redacted] से जिस पर वाट्सअप चालू है के द्वारा आरोपी प्रशांत गुप्ता के मोबाइल नम्बर [redacted] जिस पर वाट्सअप संचालित है जो परिवादी श्री बालूराम के मोबाइल में प्रशांत गुप्ता जी आवासन हैड ऑफिस कनिष्ठ विधि अधिकारी के नाम से सेव है पर वाट्सअप कॉल कराकर कॉल को स्पीकर मोड पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तत्पश्चात आरोपी प्रशांत गुप्ता द्वारा परिवादी के मोबाइल पर अपने उक्त नम्बर द्वारा वाट्सअप कॉल किया गया जिसको भी स्पीकर मोड पर रखकर विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 06.30 पीएम पर वाट्सअप कॉल जो वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हैं को लैपटॉप की सहायता से पुनः सुना गया वार्ता से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने परिवादी को कुछ दिनों बाद बुलाया है इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री विजयसिंह कानि. चालक द्वारा रिश्वत राशि एक लाख रूपये को परिवादी के जेब से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेट कर सुरक्षित उसी के पास रखवाया गया तथा परिवादी श्री बालूराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर जरिए टेलीफोन अवगत कराने की मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 06.45 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय ट्रेप टीम मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक श्री विजय सिंह मय पाउडर युक्त रिश्वती राशि एक लाख रूपये के एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना कर हिदायत दी गई कि एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचकर पाउडर युक्त रिश्वतराशि को कार्यालय के आलमारी में सुरक्षित रखें । वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व दिनांक 19.12.24 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद दिनांक 09.01.25 को समय 10.00 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्डों मय अपने निजी वाहन से जयपुर से रवाना होकर एसीबी चौकी भरतपुर उपस्थित आया वॉइस रिकॉर्डर व मेमारी कार्डों को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा। आइंदा परिवादी की सूचना पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद दिनांक 29.01.2025 को समय 07.30 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री दिलीप कानि.नं. 610 रितेश कुमार कानि. 64, विनोद कुमार कानि. 114, श्री गोकुलेश कानि. नं. 454 , राजेन्द्र सिंह कानि. 106 मय मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर मय वॉइस रिकॉर्डर मय मेमारी कार्ड व दिनांक 19.12.24 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मय सरकारी वाहन मय चालक श्री विजय सिंह चालक कानि. 339 मय पाउडर युक्त रिश्वती राशि एक लाख रूपये के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु जयपुर रवाना होता हूं। तत्पश्चात समय 10.30 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर मय वॉइस रिकॉर्डर मय मेमारी कार्ड व दिनांक 19.12.24 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मय सरकारी वाहन मय चालक श्री विजय सिंह चालक कानि. 339 मय पाउडर युक्त रिश्वती राशि एक लाख रूपये के उपरोक्त फिकरावाला का रवानाशुदा अरण्य भवन जयपुर के सामने पहुंचा जहां पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान को जरिए टेलीफोन तलब किया गया तो गवाह श्री सुनील कुमार

शर्मा सहायक कर्मचारी ने बताया कि मेरी रिश्तेदारी में मृत्यु होने से मै अवकाश पर हूं इस पर जीएसम मैनेजर को कार्यवाही के लिए एक अन्य स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने पर अन्य कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध कराने की कहा तो उन्होने श्री मोहम्मद हकीत खान को पूर्व से पाबन्दशुदा श्री चेतनप्रकाश विजय के साथ भेजा। दोनो गवाहान के उपस्थित आने पर नये गवाह मौहम्मद हकीत खान को अपना व हमाराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो गवाह ने अपना नाम मौहम्मद हकीत खान पुत्र स्व0 श्री सुबराती खां उम्र 34 साल जाति - मुसलमान निवासी ई -6 बरकत कॉलोनी झोटवाडा पुलिस थाना झोटवाडा जिला जयपुर हाल सहायक कर्मचारी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स (आर.एस.जी.एस.एम.) होना बताया। गवाह को अब तक की कार्यवाही से अवगत कराते हुए दोनो गवाहान को साथ में हमरा लेकर परिवादी श्री बालूराम के बताए अनुसार ज्योति नगर जयपुर पहुंचा जहां परिवादी श्री बालूराम पूर्व से उपस्थित मिला। परिवादी से नये गवाह मौहम्मद हकीत खान का आपस में परिचय कराकर गवाह को परिवादी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा स्वतंत्र गवाह से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो स्वतंत्र गवाह ने अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप स्वतंत्र गवाह ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 12.20 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पाउडर युक्त रिश्वत राशि एक लाख रूपये को श्री विजय सिंह कानि. चालक से निकलवाकर पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलानकर सीधे ही परिवादी श्री बालूराम की पेन्ट की आगे की दाहिने तरफ की जेंब में रखवाया गया। तत्पश्चात नये स्वतंत्र गवाह हकीत खान को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की आपस में रासायनिक क्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द कर रवाना कार्यालय राजस्थान आवासन मंडल जयपुर किया गया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा हो गया। तत्पश्चात समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम बिना इशारा किए ही राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से बाहर आया जिनसे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा इसके बाद परिवादी ने बताया कि मेरी प्रशान्त गुप्ता जी से बात हुई थी प्रशांत जी ने मुझे कुछ समय बाद पुनः बुलाया है। प्रशांत जी हुई वार्ता लाप को मैंने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। तत्पश्चात समय 03.45 पीएम पर परिवादी श्री बालूराम के बताये अनुसार वाईस रिकार्डर को सुपुर्द कर आरोपीगण से मिलने व रिश्वत राशि लेनदेन हेतु कार्यालय आवासन मंडल रवाना किया । मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के राजस्थान आवासन मंडल के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा हो गया। तत्पश्चात समय 04.35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री बालूराम के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के कार्यालय आवासन मण्डल जयपुर के मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हुए सीडियों द्वारा तृतीय तल पर पहुंचा जहां परिवादी उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा तत्पश्चात परिवादी के पीछे-पीछे हॉल कार्यालय की गैलरी से होते हुए कमरा नं. 406 के दरवाजे पर पहुंचा जहां परिवादी श्री बालूराम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि यही श्री प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी हैं जिन्होने अभी-अभी मेरे से रिश्वत राशि एक लाख रूपये अपनी कार्य करने की टेबल की रैक में रखवाये हैं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए कानि. श्री दिलीप कुमार से अपना निजी मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर परिवादी द्वारा बताये गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रशांत गुप्ता पुत्र श्री के के गुप्ता उम्र 41 साल जाति महाजन निवासी 4/492 मालवीय नगर पुलिस थाना मालवीय नगर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ विधि अधिकारी आवासन मंडल जयपुर होना बताया। इस पर आरोपी प्रशांत गुप्ता से रिश्वत राशि एक लाख रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि नही ली है जिस पर परिवादी बालूराम से पूछा तो कमरे में रखी टेबल की रैक की तरफ इशारा कर बताया कि रिश्वत राशि टेबल की रेक में रखी हुई है। टेबल की रेक को स्वतंत्र गवाह श्री चेतनप्रकाश के द्वारा टेबल की रेक को खुलवाकर देखा तो उसमें पांच-पांच सौ रूपये के नोटो की दो गड्डियां दिखाई दी इसके बाद पुनः श्री प्रशांत को तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि मैं कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर आवासन मंडल जयपुर विधि प्रकोष्ठ में वर्ष 2021 से कार्यरत हूं। श्री बालूराम जी करीब एक साल पहले अपने पिता के नाम आवंटित आवास सं0 7 एच 43 इंदिरागांधी नगर जगतपुरा के सम्बंध में पत्रावली बाबत विधि प्रकोष्ठ में आये थे जिनकी पत्रावली विधिक राय उपरांत लगभग उसी समय प्रशासनिक निर्णय हेतु प्रेषित कर दी गई थी। विधि प्रकोष्ठ में पत्रावली पर कोई काम अपेक्षित नही है। मेरे द्वारा अपने लिए कभी भी कोई रिश्वत राशि की मांग नही की गई । अनिल पालीवाल उप सचिव आवासन मंडल जयपुर के कहने पर ही मैंने बालूराम जी से उनकी पत्रावली के सम्बंध में बातचीत की हैं रैक में रखे हुए रूपये एक लाख रूपये के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। इस पर पास में खडे हुए

परिवादी श्री बालूराम ने आरोपी की बातों का खंडन करते हुए बताया कि प्रशांत जी झूंठ बोल रहे हैं मैं इनके पास मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री मोहनलाल जी को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जयपुर की विशिष्ठ पंजीकरण योजना वर्ष 2003 के अन्तर्गत आवास सं. 7एच 43 इंदिरागांधी नगर जगतपुरा जयपुर में आवंटित हुआ था पिताजी के मृत्यु के पश्चात उक्त आवास का स्थानान्तरण मेरे नाम हो गया था। मेरे द्वारा समय समय पर आवास के मांग पत्र जारी करने के सम्बंध में पत्र जारी किये गये किंतु राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा कोई निर्णय नही लिये जाने के उपरांत मैं आवासन मंडल के उप सचिव श्री अनिल कुमार पालीवाल से आकर मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी से मिल लो वो आपको पत्रावली के बारे में जानकारी दे देंगे इस पर मैं प्रशांत गुप्ता से मिला तो उन्होने बताया कि आपके आवास का मांग पत्र एवं आवंटन पत्र जारी हो जाएगा इसके लिए आपको तीन लाख रूपये देंगे होंगे इसकी शिकायत मैंने एसीबी जयपुर में की थी इसके बाद दिनांक 19.12.2024 को जयपुर एसीबी के अधिकारीयों के कहने पर मैं आपसे मिला था आप द्वारा मेरे द्वारा दी गई लिखित शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया था सत्यापन के दौरान मेरे निवेदन करने पर प्रशांत गुप्ता मुझसे एक लाख रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गये थे। आज मैं प्रशांतजी से मेरी फाइल के सम्बंध में दिन लगभग एक बजें मिला और मैंने बताया कि मैं व्यवस्था कर लाया हूं तो प्रशांत जी ने मुझसे पूछा कि कितने लाये हो तो मैंने कहा कि एक लाख हैं तो इन्होंने कहा कि आप बाद में आना अभी चेयरमेन साहब की कोई मीटिंग है फिर मैं पुनः लगभग 04 बजे प्रशांतजी से मिला तो इन्होंने बताया कि आपकी फाइल के बारे में मेरी सेकेटरी साहब से बात हो गई है आपकी फाइल डिस्कशन के लिए कमीशनर साहब के पास भेज दी है आज इसका डिस्पोजल कर देंगे एवं इनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि के लिए कहा तो प्रशांत जी ने मुझसे रिश्वत राशि एक लाख रूपये को टेबल की रैक में रखने को कहा तो मैने रिश्वत राशि एक लाख रूपये टेबल की रैक में रख दी। रिश्वत राशि अभी भी रैक में ही रखी हुई है। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री चेतनप्रकाश द्वारा रैक को खुलवाकर दिखवाया गया तो रैक के अंदर खाकी रंग के लिफाफे के ऊपर पांच-पांच सौ रूपये के दो गड्डियां दिखाई दी उक्त रिश्वत राशि को गवाह श्री चेतनप्रकाश से उठवाया गया एवं रिश्वत राशि को गवाह चेतनप्रकाश के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात आरोपी प्रशांत गुप्ता द्वारा उसके मोबाइल के वाट्सएप नं. [redacted] से संदिग्ध आरोपी अनिल पालीवाल उप सचिव के मोबाइल के वाट्सअप नं. [redacted] जो आरोपी प्रशांत गुप्ता के मोबाइल में dr Anil Kumar Paliwal RAS के नाम से सेव है, पर वाट्सअप कॉल कराई जाकर वार्ता कराई गई उक्त कॉल को लाउड स्पीकर पर रखकर विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता में संदिग्ध उप सचिव अनिल पालीवाल को बालू भइया की फाइल के सम्बंध में चर्चा करते हुए प्रशांत ने पूछा कि वो पूछ रहे हैं कि क्या करना है तो श्री अनिल पालीवाल ने कहा कि अभी वेट करो बताते हैं। इस पर पुनः आरोपी प्रशांत गुप्ता से रिश्वत राशि के सम्बंध में तसल्ली देकर समझाइस की गई कि आप और परिवादी श्री बालूरामजी संदिग्ध आरोपी उप सचिव अनिल पालीवाल से मिलकर रिश्वत राशि के सम्बंध में वार्ता करे की इस पर आरोपी प्रशांत गुप्ता सहमत हो गया। विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाला गया जिसमें रिश्वत लेनदेन वार्ता व आरोपी व संदिग्ध आरोपी के मध्य वाट्सअप कॉल वार्ता रिकॉर्ड है को सुरक्षित अपने पास रखकर रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर आरोपी प्रशांत गुप्ता एवं परिवादी श्री बालूरामजी को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर चालू करके मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की निगरानी में द्वितीय तल पर संदिग्ध आरोपी अनिल पालीवाल के कक्ष में भेजा गया । जिस पर आरोपी प्रशांत गुप्ता व परिवादी बाद वार्ता कक्ष से बाहर आये और परिवादी को सुपुर्दशुदा वॉइस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रख द्वितीय तल से रवाना होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही आरोपी एवं परिवादी के तृतीय तल पर आकर आरोपी से पूछा तो आरोपी प्रशांत गुप्ता ने बताया कि बाद में बात करने के लिए कहा है। इस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए ट्रेप बॉक्स मे से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकाल कर आवासन मंडल कार्यालय में लगे हुए वाटरकूलर से पानी मंगवाकर गिलास को साफ करवाकर गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह हकीत मोहम्मद खान से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स से रूई के फोये को निकालकर उक्त घोल में रूई के फोये को डुबोकर फाये से लिफाफे को पुंछवाया जाकर पुनः फोये को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क एल 1 व एल 2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। तत्पश्चात रूई के फोये को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क आर एफ अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं खाकी रंग के लिफाफे को सुखाकर लिफाफे पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराकर लिफाफे को एक सफेद रंग के कपडे की थैली में रखकर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क एल अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए गवाह श्री चेतनप्रकाश के पास रखी हुई रिश्वत राशि को गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 200 नोट होना पाये गये उक्त नोटों के नम्बरों को पूर्व में बनाई हुई फर्द पेशकशी रिश्वती राशि से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया । तत्पश्चात आरोपी प्रशांत गुप्ता से परिवादी के कार्य से सम्बंधित

पत्रावली के सम्बंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि बालूराम जी की पत्रावली के बारे में उप सचिव अनिल पालीवाल जी बता सकते है। इस पर हमराही जाब्ता के द्वारा उप सचिव श्री अनिल पालीवाल को बुलवाया गया तथा रिश्वत राशि एवं पत्रावली के सम्बंध में पूछा तो उप सचिव ने बताया कि मैं वर्ष 2024 से उप सचिव आवासन मंडल जयपुर के पद पर कार्यरत हूं और कुछ महीनों से मेरे पास आवासन मंडल जयपुर के सचिव का अतिरिक्त चार्ज भी है। मुझे इस प्रकरण की कोई जानकारी नही है ना ही मेरी किसी से कोई बात हुई है नाही मैने किसी से कभी कोई रिश्वत राशि की मांग की है। मैंने प्रशांत जी को कुछ नही बोला है। मैंने रिश्वत मांगने के लिए प्रशांत जी को कभी भी नही बोला है। पत्रावली में वर्तमान में क्या चल रहा है इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में भी कोई जानकारी नही है। मैं बालूराम को नही जानता हूं एवं नाही मेरी इससे कोई मुलाकात हुई है और नाही बालूराम की पत्रावली के बारे में कोई बात हुई है। इस पर पास में खडे परिवादी श्री बालूराम जी ने बताया कि मैं मेरी फाइल के बारे में जानकारी लेने के लिए कई महीनों से इस कार्यालय में आ रहा हूं। मैं मेरी पत्रावली के सम्बंध में श्री अनिल पालीवाल जी से कई बार मिला हूं। मुझे मेरी फाइल के बारे में प्रशांत जी से मिलने के लिए कहा इस पर श्री अनिल पालीवाल उप सचिव जी ने बताया कि ये झूंठ बोल रहे हैं मैंने इनसे कभी प्रशांत जी से मिलने के लिए नही कहा और नाही आज वाट्सअप पर कोई बात की है। तत्पश्चात परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया एवं वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता वाले मेमोरी कार्ड को रिकॉर्डर में डालकर टेबल स्पीकर की सहायता से सुना गया गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण लेपटॉप की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली की जप्ती संबंधी कार्यवाही वाट्सअप कॉल अनुसार कमीशनर कार्यालय से पृथक से की जाएगी एवं आरोपी प्रशांत गुप्ता एवं संदिग्ध अनिल पालीवाल के मोबाइल जप्ती की कार्यवाही पृथक से की जावेगी। आरोपी प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी का उक्त कृत्य धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) व 61(1) बीएनएस अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा एवं संदिग्ध श्री अनिल पालीवाल उप सचिव आवासन मंडल जयपुर के भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट होगी। फर्द रैक धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष समक्ष आरोपी प्रशांत गुप्ता पुत्र श्री के के गुप्ता उम्र 41 साल जाति महाजन निवासी 4/492 मालवीय नगर पुलिस थाना मालवीय नगर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ विधि अधिकारी आवासन मंडल जयपुर द्वारा परिवादी से उसके पिताजी के नाम आवंटित आवास जो परिवादी के नाम स्थानांतरित होने पर आवास का मांगपत्र एवं आवंटन पत्र जारी करने की एवज में तीन लाख रूपये रिश्वत की मांग करना व परिवादी के निवेदन करने पर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन एक लाख रूपये लेने पर सहमत होना तथा आज दिनांक 29.01.25 को रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये को अपनी टेबल की रैक में रखवाना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) व 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री हकीत मौहम्मद खान से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक एप्पल कम्पनी का 12 प्रो मोबाईल जिसमें ऐयरटेल व वोडाफोन की सिम जिनके नं0 क्रमशः [redacted] एवं [redacted] हैं एवं दूसरा मोबाइल सेमसंग कम्पनी का जिसमें एयरटेल कम्पनी की सिम नं. [redacted] डली हुई है एवं जामा तलाशी में 17450/-रूपये नगद मिले जिनके संबंध में पूछा तो आरोपी ने घर खर्च के होना बताये। आरोपी के पास मिली राशि के संबंध में संतोषप्रद जबाब देने पर उक्त राशि व सैमसंग मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारी श्री चंदन सिंह को संभलाया गया। गिरफ्तारी की सूचना भी श्री चंदन सिंह को दी गई। तथा एप्पल 12 प्रो मोबाइल को जरिए फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष राजस्थान आवासन मंडल जयपुर में पदस्थापित कार्मिक श्री अनिल कुमार तकनीकी सलाहकार से पत्रावली के सम्बंध में पूछा तो उसने दो पत्रावलियां पेश की जिनका अवलोकन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है। एक पत्रावली जिसके प्रथम पेज पर राजस्थान आवासन मंडल वृत्त तृतीय जयपुर श्री बालूराम एवं आवास सं. 7एच 43 अंकित है। जिसके अंदर कार्यालय नोटशीट , विशिष्ठ पंजीकरण योजना 2003 का आवेदन फार्म एवं आवेदन कर्ता से सम्बंधित दस्तावेजात एवं राजस्थान आवासन मंडल द्वारा समय समय पर जारी परिवादी को किए गये पत्राचार आदि लगे हुए हैं। उक्त पत्रावली के कार्यवाही हाजा में वजह सबूत आवश्यकता होने पर उक्त पत्रावली की छायाप्रति करवाई जाकर छायाप्रति पत्रावली की नम्बरिंग करवाई गई तो पत्रावली में कुल 01 लगायत 195 पेज हैं। छायाप्रति पत्रावली को श्री अनिल गोयल तकनीकी सलाहकार राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से प्रमाणित करवाया जाकर प्रमाणित पत्रावली के प्रथम एवं अंतिम पेज पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया । दूसरी पत्रावली जिसके प्रथम पेज पर राजस्थान आवासन बोर्ड ज्योति नगर जयपुर , परिवादी का आवास नम्बर 7 एच 43 इंदिरागांधी नगर जगतपुरा जयपुर अंकित है। पत्रावली के अंदर कार्यालय नोटशीट एवं आवास की वस्तुस्थिति रिपोर्ट लगी हुई है। उक्त पत्रावली के कार्यवाही हाजा में वजह सबूत आवश्यकता होने पर उक्त पत्रावली की छायाप्रति करवाई जाकर छायाप्रति पत्रावली की नम्बरिंग करवाई गई तो पत्रावली में कुल 01 लगायत 07 पेज हैं। छायाप्रति पत्रावली को श्री अनिल गोयल तकनीकी सलाहकार

राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से प्रमाणित करवाया जाकर प्रमाणित पत्रावली के प्रथम एवं अंतिम पेज पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मूल दोनो पत्रावलियों को श्री अनिल कुमार तकनीकी सलाहकार राजस्थान आवासन मंडल जयपुर को सुपुर्द किया जाकर परिवादी के वैध कार्य को करवाने की हिदायत दी गई। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.30 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 29.01.25 को दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री दिलीप कुमार कानि नं. 610 के निजी मोबाइल से आरोपी प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी की टेबल की रेक से बरामद की गई रिश्वती राशि एक लाख रूपये की , की गई वीडियोग्राफी की कार्यालय के लैपटॉप से कनैक्ट कर तीन सीडी तैयार की जाकर सम्बन्धितां के हस्ताक्षर करवाकर दो सीडीयों को अलग-अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितां के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क -" V अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा शेष एक सीडी को आई/ओ प्रति के रूप में खुली रखी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द वीडियोग्राफी बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.20 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बालूराम की निशादेही पर घटनास्थल का कार्यालय लाइटों की रोशनी में हस्व कायदा मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 10.40 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी प्रशांत गुप्ता द्वारा उसके मोबाइल के वाट्सएप नं. [redacted] से संदिग्ध अनिल पालीवाल उप सचिव के मोबाइल के वाट्सअप नं. [redacted] जो आरोपी प्रशांत गुप्ता के मोबाइल में dr Anil Kumar Paliwal RAS के नाम से सेव है, उक्त दोनों मोबाइलों की कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत आवश्यकता होने पर दोनों मोबाइलों को जब्त किया जाना आवश्यक है। जिनका विवरण निम्नानुसार है। आरोपी प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी का एप्पल 12 प्रो मोबाइल , रंग आइस ब्लू जिसमें ऐयरटेल व वोडाफोन की सिम डली हुई हैं जिनके नं0 क्रमशः [redacted] एवं [redacted] हैं। उक्त फोन में मोबाइल नं. [redacted] के द्वारा वाट्सअप संचालित है जिसके द्वारा संदिग्ध अनिल पालीवाल के वाट्सअप नं. [redacted] पर वाट्सअप कॉल किया गया था। उक्त कॉल हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लिया जाकर स्क्रीनशॉट का प्रिंटआउट किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली किया गया। एवं संदिग्ध अनिल पालीवाल उप सविच राजस्थान आवासन मंडल जयपुर का एप्पल 14 मोबाइल , रंग सफेद जिसमें मोबाइल नं. [redacted] की सिम डली हुई है तथा इसी नम्बर से वाट्सअप संचालित है तथा आरोपी प्रशांत गुप्ता का मोबाइल नम्बर [redacted] जो Law Officer Prashant के नाम से सेव है। जिस पर दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी प्रशांत गुप्ता द्वारा वाट्सअप कॉल किया गया था। वाट्सअप कॉल हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लिया जाकर स्क्रीनशॉट का प्रिंटआउट किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त दोनो मोबाइलों को अलग-अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मौहर कर थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जप्ती मोबाइल पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 30.01.2025 को समय 12.05 एएम पर बाद ट्रेप कार्यवाही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी प्रशांत गुप्ता मय परिवादी बालूराम मय शील्डशुदा रिश्वत राशि एक लाख रूपये, धोवन की शीशीयां कुल 02 , शील्डशुदा मोबाइल पैकेट एवं शील्डशुदा लिफाफा पैकेट व रूई के फोये का पैकेट मय ट्रेप बॉक्स प्रिन्टर लैपटॉप व वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्डों के एवं शील्डशुदा सीडीयां व अन्य सामान मय सरकारी वाहन मय चालक विजयसिंह के राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से एसीबी मुख्यालय जयपुर के लिए रवाना होकर समय 12.30 एएम पर सीपीएस जयपुर पहुंचा जहां गिरफ्तारशुदा आरोपी को सीपीएस के हवालात में बंद करवाया जाकर हमराही जाप्ता के श्री रितेश कुमार कानि. व श्री दिलीप कुमार कानि. को आरोपी की निगरानी हेतु छोडा गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को सुबह 08.00 ए.एम. पर सीपीएस जयपुर में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 08.10 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी श्री बालूराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित सीपीएस जयपुर आये जिन्हे बिठाया गया। तत्पश्चात समय 08.20 एएम पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.12.24 के माईक्रो एसडी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.30 पीएम पर परिवादी बालूराम व आरोपीगण प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं उप सचिव श्री अनिल पालीवाल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.12.24 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को लैपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष एक सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी श्री दिलीप कुमार कानि0 से रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की

डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा आईओ प्रति सीडी को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.00 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को मय आरोपी प्रशांत गुप्ता का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु सरकारी वाहन टवेरा मय चालक विजयसिंह के जयपुरिया हॉस्पीटल जयपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 12.15 पीएम पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 19.12.2024 को आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 12.20 पीएम पर दिनांक 08.01.25 रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बंध में हुई वार्ता , तथा वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 29.01.25 व कार्यवाही के दौरान आरोपी प्रशांत गुप्ता व संदिग्ध अनिल पालीवाल के मध्य हुई वाट्सअप कॉल वार्ता जिसे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, के माईक्रो एसडी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर परिवादी बालूराम व आरोपीगण प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं उप सचिव श्री अनिल पालीवाल के मध्य हुई दिनांक 08.01.25 रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बंध में हुई वार्ता तथा वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 29.01.25 व कार्यवाही के दौरान आरोपी प्रशांत गुप्ता व संदिग्ध अनिल पालीवाल के मध्य हुई वाट्सअप कॉल वार्ता जिसे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, जो डिजीटल वॉईस रिकॉडर्र के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को लैपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष एक सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी श्री दिलीप कुमार कानि0 से रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम 1 " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा आईओ प्रति सीडी को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.20 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय आरोपी प्रशांत गुप्ता के बाद कराकर स्वास्थ्य परीक्षण मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक विजयसिंह के जयपुरिया हॉस्पीटल जयपुर रवाना होकर वापस सीपीएस जयपुर आया। तत्पश्चात समय 06.00 पीएम पर दिनांक 08.01.25 रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बंध में हुई वार्ता तथा वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 29.01.25 व कार्यवाही के दौरान आरोपी प्रशांत गुप्ता व संदिग्ध अनिल पालीवाल के मध्य हुई वाट्सअप कॉल वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 03.01.25 व 08.01.25 और दिनांक 29.01.25 को आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 06.05 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही वॉइस रिकॉर्डर में से रिश्वत लेनदेन वार्ता के मेमारी कार्ड को निकालकर उसमें नया कार्ड डालकर आरोपी प्रशांत गुप्ता एवं परिवादी को संदिग्ध अनिल पालीवाल के कक्ष में रिश्वत राशि प्राप्त करने की संलिप्तता की स्थिति स्पष्ट करने हेतु भेजा गया था उक्त कार्ड को वॉइस रिकॉर्डर से निकालकर एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मौहर किया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एम 2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात 06.10 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 64 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री चेतनप्रकाश विजय को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री बालूराम के पिताजी स्व. श्री मोहनलाल जी को आरएचबी की विशिष्ठ पंजीयन योजना 2003 के अन्तर्गत इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा में आवंटित हुए आवास संख्या 7 एच 43 को परिवादी के पिता की मृत्यु के पश्चात परिवादी के नाम स्थानांन्तरित हो जाने पर एवं परिवादी द्वारा समय समय पर मांग राशि जमा कराने की स्वीकृति के लिए पत्र प्रेषित किये जाने के उपरांत भी राजस्थान आवासन मंडल जयपुर द्वारा उक्त आवास पर निर्णय नही करते हुए राजस्थान आवासन मंडल जयपुर कार्यालय में पदस्थापित श्री अनिल कुमार जिनके पास सचिव का चार्ज भी है। डिप्टी सैक्रेटी द्वारा प्रशांत गुप्ता जे एल ओ के मार्फत परिवादी के आवास आवंटन पत्र की मांग राशि बिना ब्याज जमा कराने एवं पोजिटिव टिप्पणी के साथ आवंटन पत्र जारी करने की एवज में परिवादी से दस लाख रूपये रिश्वत की मांग करना एवं दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक

19.12.24 को आरोपी प्रशांत गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी द्वारा परिवादी के निवेदन करने पर एक लाख रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना एवं दिनांक 29.01.25 को आरोपी प्रशांत गुप्ता द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि एक लाख रूपये को अपनी टेबल की रैक में रखवाने , जहां से रिश्वत राशि एक लाख रूपये बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। संदिग्ध आरोपी अनिल पालीवाल उप सचिव कार्यालय राजस्थान आवासन मंडल जयपुर की भूमिका दौराने अनुसंधान स्पष्ट होगी। उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। .....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस में प्रशांत गुप्ता पुत्र श्री के के गुप्ता उम्र 41 साल जाति महाजन निवासी 4/492 मालवीय नगर पुलिस थाना मालवीय नगर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ विधि अधिकारी आवासन मंडल जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री संदीप सारस्वत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.आई. यू. जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 558 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 108-11 दिनांक 31.01.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 जयपुर, 2. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर 3. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भरतपुर। उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Sandeep Saraswat **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 31/01/2025 20:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	04/04/1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)